418

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प.3(160)नविवि/3/2009 दिनांक 16.12.2009

परिपत्र

विषय :– किराये पर चली आ रही परिसम्पत्तियों के संबंध में।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों द्वारा योजनाएं विकसित करने के उपरान्त नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका को जो विकसित क्षेत्र हस्तांतरित किये जाते है उनमें कुछ परिसम्पत्तियाँ वे भी सम्मिलित होती है जो कि लम्बी अवधि के लिए पूर्व से ही किराये पर चली आ रही है।

उक्त हस्तांतरित परिसम्पत्तियों के संबंध मे समय समय पर यह विवाद उत्पन्न होते रहे है कि रिक्त भूखण्ड पर स्वामित्व किस निकाय का रहेगा, भवन निर्माण स्वीकृति, भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति तथा किराया वसूली का कार्य किस निकाय द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

ऐसी स्थिति में परिसम्पत्तियाँ क्रय करने वाले क्रेता/आवंटी के समक्ष यह दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि यह परिसम्पत्ति से सबंधित किस निकाय से सम्पर्क करें। क्षेत्राधिकार विवाद के कारण दोनों निकाय आवंटियों को नोटिस जारी कर अपने अपने हित में दबाव डालते है, इससे एक तरफ तो विकास अवरूद्ध होता है वही दूसरी तरफ आवंटियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार दोनों निकायों में आवंटी द्वारा आवेदन करने व राशि जमा कराने के बावजूद भी आवंटी को कोई राहत प्राप्त होती है, अतः ऐसी स्थिति में समस्त प्राधिकरणों/न्यासों/नगर निगमों/पालिकाओं को निर्देशित किया जाता है कि :–

1. प्राधिकरण/न्यासों द्वारा योजना का विकसित क्षेत्र नगर निगम/परिषदों/पालिकाओं को हस्तांतरित करते समय योजना में रिक्त विक्रय योग्य भूखण्ड का स्वामित्व संबंधित प्राधिकरण/न्यास का ही रहेगा तथा ऐसे भूखण्ड के हस्तांतारण की कार्यवाही अलग से विक्रय प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त की जायेगी।

2. प्राधिकरण/न्यास द्वारा विकसित योजनाऐं नगर निगम/परिषदों/पालिकाओं को हस्तांरित किये जाने वाले क्षेत्र में स्थित लीज रिक्त आधारित/किराया आधारित समस्त परिसम्पत्तियाँ समस्त प्रयोजनार्थ हस्तांतरित समझी जायेगी तथा उक्त परिसम्पत्तियों में भवन निर्माण/भू–उपयोग परिवर्तन, अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही तथा किराया वसूली आदि से संबंधित सभी कार्य नगर निगम/पालिका/परिषद द्वारा की जायेगी।

3. प्राधिकरण/न्यास द्वारा हस्तांतरित किये गये क्षेत्र में यदि किसी प्रकार का कोई विकास कार्य करवाया जाना शेष रह जाता हो तो उस विकास कार्य को पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण/न्यास की होगी अथवा इस पेटे विकास कार्य के खर्चे की राशि संबंधित प्राधिकरण/न्यास द्वारा संबंधित निगम/परिषद/पालिका को अदा की जायेगी।

4. पूर्व में प्राधिकरण/न्यासों द्वारा संबंधित निगम/परिषद/पालिका को हस्तांतरित परिसम्पत्तियों के संबंध में भी उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु इस परिपत्र के लागू होने के पूर्व की जा चुकी समस्त कार्यवाहियां व पारित आदेश इस परिपत्र के अधीन पारित/वैध समझे जायेंगे।

उक्त निर्देश पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों/आदेशों के अतिक्रमण में जारी किये जा रहे है। उक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से प्रभृत होंगे।

प्रमुख शासन सचिव

277